न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी — राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर. ए. एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या : 24 / 2020

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू

— प्रार्थी

बनाम

दिनेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद, जाति जाट उम्र 28 साल निवासी ढाकामण्डी, थाना बुहाना, जिला झुन्झुनू।

— अप्रार्थीगण

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :—

1. अभियोजक अधिकारी .... सरकार की ओर से।

—: निर्णय :—

दिनांक : 12.11.2020

सक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू ने दिनांक 06.10.2020 को इस्तगासा पेश किया कि गैरसालय दिनेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद, जाति जाट उम्र 28 साल निवासी ढाकामण्डी, थाना बुहाना, जिला झुन्झुनू का रहने वाला है जो एक आपराधिक मनोवृति का बदमाश व्यक्ति है। उक्त व्यक्ति नें अपनी आपराधिक गतिविधियों से ग्राम ढाकामण्डी के लोगो को भयभीत व आतंकित कर रखा है। इसकी आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ रही है, जो मारपीट, जुआ व अवैध शराब बेचनें का आदि है जिससे युवा पीढी में नशे की लत होने का भय है। इसके डर के कारण कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर सूचना या रिपोर्ट दर्ज नही कराता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिये तैयार है। गैर सायल का ग्राम ढाकामण्डी में भय व्याप्त है। गैर सायल वर्तमान में भी अवैध शराब से संबंधित अपराध करनें में लिप्त है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढी व समाज पर विपरित असर पड़ रहा है। इसके खिलाफ अब तक 07 अभियोग दर्ज किये गये है। इसके जिले की सीमाओं मे रहने से आपराधिक गतिविधियों को बढावा मिलेगा। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराधों का विवरण निम्न प्रकार है:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.11.12 16:35:21 IST
Reason: SelfAttested

क्रम संख्या	मु0न0	दर्ज दिनांक	धारा	नाम थाना	सी.एस.न0 व दिनांक	चालान पेश की दिनांक	निर्णय
1.	मु0न0 57/14	28.04.14	341,323, 324/34 भादस	बुहाना	सी.एस.न0 47 दिनांक 11.05.14	20.05.14 जेएफ नं. 505/14	जैर ट्राईल
2.	मु0न0 163/15	05.11.15	19/54 आबकारी अधिनियम 1950	बुहाना	सी.एस.न0 127 दिनांक 29.11.14	29.11.15 जेएफ नं. 127/17	जैर ट्राईल
3.	मु0न0 172/18	17.08.18	13 आरपीजीओ	बुहाना	सी.एस.न0 103 दिनांक 08.08.18	27.09.18 जेएफ नं. 753/18	जैर ट्राईल
4.	मु0न0 69/19	17.04.19	19/54 आबकारी अधिनियम 1950	बुहाना	सी.एस.न0 49 दिनांक 29.05.19	10.07.19 जेएफ नं. 440/19	फैसला दिनांक 30.08.19 सजा 10 हजार के जमानत मुचलको पर एक साल सदाचार (नेकचलनी) के लिये पाबन्द व 5000 रू जुर्माना
5.	मु0न0 88/19	12.05.19	19/54 आबकारी अधिनियम 1950	बुहाना	सी.एस.न0 62 दिनांक 13.06.19	23.07.19 जेएफ नं. 478/19	फैसला दिनांक 30.08.19 5000 रू के स्वयं के मुचलके पर छः माह के लिए (नेकचलनी) के लिये पाबन्द व 1000 रू जुर्माना
6.	मु0न0 111/20	06.07.20	19/54 आबकारी अधिनियम 1950	बुहाना	सी.एस.न0 85 दिनांक 14.07.20	20.07.20 जेएफ नं. 392/20	जैर ट्राईल

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.11.12 16:35:21 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं

7.	मु0नं0 154/20	05.08.20	19/54 आबकारी अधिनियम 1950	बुहाना	सी.एस.न0 109 दिनांक 26.08.20	09.09.20	जैर ट्राईल

इस प्रकार गैर सायल दिनेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद, जाति जाट उम्र 28 साल निवासी ढाकामण्डी, थाना बुहाना, जिला झुन्झुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) की पूर्ण परिभाषा में आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 03.11.2020 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का मौखिक सारांश सुनाया गया, जिसे गैर सायल द्वारा स्वैच्छा से स्वीकार किया गया। ऐसी स्थिति में गवाहन को तलब किये जाने का कोई औचित्य शेष नही रह जाता है। प्रकरण में बहस अन्तिम सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान एपीपी–1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना बुहाना जिला झुन्झुनू में एकाधिक अभियोग दर्ज होकर उनमें गैर सायल दोष सिद्व हुआ है। जिसके कारण गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अधीन अपराध करने के कारण गुण्डा की तारिफ में आता है। अतः इसे जिला झुन्झुनू की समस्त सीमाओं से निष्कासित किया जावें।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान एपीपी–1 की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्यों के मुताबिक गैर सायल दिनेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद के खिलाफ मारपीट, जुआ व आबकारी अधिनियम के तहत कुल 07 प्रकरण दर्ज होकर उनमें से 02 में गैर सायल दोष सिद्व हुआ है। तथा 05 मुकदमें विचाराधीन है। जिनकी प्रमाणित प्रतियां इस्तगासे के साथ संलग्न है। गैर सायल दिनेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद द्वारा 07 बार ऐसा अपराध करने के कारण राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत गुण्डा की परिभाषा में आता है। धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यु होने के कारण उक्त दस्तावेज सम्पुष्टि के लिए पर्याप्त है। अतः पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित सूचना पर राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नही है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैर सायल अगर इस क्षेत्र में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधों की पुनरावृति तथा युवा पीढी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हें दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान–माल को नुकशान पहुंचा सकता है। ऐसी स्थिति में इस्तगासा राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 में अंकित विश्वास के कारणों के चलते गैर सायल दिनेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद को झुन्झुनू जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूं।

अतः गैर सायल दिनेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद, जाति जाट उम्र 28 साल निवासी ढाकामण्डी, थाना बुहाना, जिला झुन्झुनू को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के तहत 1 माह की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से बाहर पुलिस थाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.11.12 16:35:21 IST
Reason: SelfAttested

कोतवाली, जिला चुरू के लिए निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों में शामिल नही रहेगा तथा उक्त 1 माह की अवधि में जहां भी निवास करे, थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, जिला चुरू को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना पुलिस थाना बुहाना, जिला झुंझुनूं को देंगे तथा थानाधिकारी पुलिस थाना, बुहाना, जिला झुंझुनूं उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। यह निर्णय दिनांक 12.11.2020 के पश्चात 1 माह के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
झुंझुनूं(राज.)

निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

अति. जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
झुंझुनूं(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.11.12 15:35:21 IST
Reason: SelfAttested